तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
20/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में आदेशिका दिनांक 16/12/24 को प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण 1, 3, 5 नया 10, 14 नया 17, 19, 20, 24, 26 व 27 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। अप्रार्थीगण 2, 4, 11, 12, 25, 21, 22 व 23 जवाब के वास्ते दिनांक 22/01/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी, बाँदीकुई (दौसा)
22/01/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब नहीं देकर सीधे बहस करनी चाही। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 03/02/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
03/02/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 19/02/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बाँदीकुई (दौसा)
19/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उप०। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। राजस्व जमाबंदी संवत 2076-79 खाता संख्या नया 9 पुराना 10 ग्राम सुनगाडी का अवलोकन किया जिसके अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण विवादित भूमि के सहखातेदार है। दौराने बहस प्रार्थी वकील द्वारा उक्त प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29/04/2024 को कन्फर्म (हस्ताक्षर)

बनवारीलाल गउ अपैगा वगै॰

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज T.I 47/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	किये जाने बाबत एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा का उनवानी प्रकरण संख्या 02/2024 दुर्गेश कुमार बनाम सरपंच ग्रा. पं. पामाडी प्रकरण किस्म नामान्तकरण अपील में न्यायालय आदेश दिनांक 27/11/2024 की पालना हेतु उक्त उनवानी प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 29/04/24 को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली का अस्थायी निषेधाज्ञा का एवं अवलोकन किया गया। मूल वाद दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। प्रकरण कुर्रे जात में लंबित है। मूलवाद की सुनवाई के दौरान. अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पुख्ता निर्माण का अंदेशा होने की स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29/04/2024 को कन्फर्म तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 27/11/2024 की पालना हेतु रिकॉर्ड की हद तक T.I खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर रिकॉर्ड की हद तक T.I. खारिज की जाती है तथा प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29/04/2024 को ताफैसला मूलवाद कन्फर्म कर मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बा[illegible] तउमील हमशिता मूलवाद रहे। ह. [illegible] 9/1/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)	